न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत (**R.A.S.**)
राजस्व विविध संख्या–17/2019
तारीख निर्णय– 26/02/2020

प्रार्थीगण

नेनाराम पुत्र वनाजी जाति–सीरवी निवासी–नाडोल तहसील–देसूरी

–: **विरूद्ध** :–

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार, देसूरी
2. ग्राम पंचायत नाडोल जरिये सरपंच तहसील देसूरी जिला–पाली

(वाद अन्तर्गत धारा88, 89, 92ए 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1– प्रार्थी की ओर से– वकील दिनेश कुमार माली ।
2–अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार, देसूरी उपस्थित।

निर्णय **दिनांकः– 26/02/2020**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 सपठित के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नाडेाल चक 2 के वर्तमान खसरा नम्बर 4029 रकबा 0.71 हैक्टर किस्म गै. मु नाडा जिसके गत खसरा नम्बर 1788 मीन रकबा 3 बीघा 15 बिस्बा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है जिस पर प्रार्थी का पिछले 50 साल से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है।

अतः लगातर कब्जा काश्त के रहते उक्त कृषि भूमि में से तहसीलदार देसूरी द्वारा 400 वर्गगज की भूमि सग्रह स्थल हेतु आवंटन की गई थी जो तहसीलदार देसूरी के कार्यालय आदेश/क्रमांक/राजस्व/952 दिनांक 30.12.1982 के जरिये आवंटन की गई थी। आवंटन के बाद लगातार उक्त भूमि का उपयोग उपभोग की जा रही है तथा उक्त भूमि के कब्जे में रहते हुए चारो तरफ पत्थर व कांटो की बाड की गई है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के उपयोग उपभोग व कब्जा काश्त की होनी साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:01 IST
Reason: SelfAttested

———क्रमशः पेज नं.......

(सहायक कलेक्टर)
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) (पाली)

प्रार्थी की उक्त आंवटनशुदा भूमि पर सेटलमेंट के समय सेटलमेंट अधिकारीयो ने बिना कोई मौके की जॉच किये ही उक्त भूमि की राजस्व रिकर्ड में किस्म में परिवर्तन करते हुए गै.मु. नाडी दर्ज कर दिया है। जबकि सेटलमेन्ट वालो को इस तरह किस्म परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही था। जिस वजह से अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा वर्तमान राजस्व रिकोर्ड के अनुसार हक जताकर उस पर जोर–जबरदस्ती कब्जा करने पर उतारू है। जिसको स्थगन के जरिये रोका जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर जोर जबरदस्ती बिना विधिक अधिकारो के प्रार्थी को अपने हक अधिकार एवं कब्जाशुदा भूमि के मौके से बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को उक्त भूमि से हमेशा हमेशा के लिए महरूम होना पडेगा जिसका मूल्यांकन रूपयों व पैसे से नही किया जा सकता है।

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से जारी की जावे कि मौजा ग्राम नाडोल चक 2 के वर्तमान खसरा नम्बर 4029 रकबा 0.71 हैक्टर किस्म गै. मु नाडा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, व्यवधान, अवरोध गतिरोध पैदा न करें व न अपने एजेन्ट, प्रतिनिधि निरयोजित अधिकारी व अन्य किसी से ही करे व करावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार देसूरी उपस्थित तथा अप्रार्थी संख्या 2 बाबजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जबाब दिनांक 26.11.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नाडोल के खसरा नम्बर 4029 रकबा 0.7100 हैक्टर भूमि गै.मु नाडा है। इसके गत खसरा नम्बर 1788 मी. है। इसमे प्रार्थी को सग्रह स्थल हेतु 400 वर्ग गज भूमि आवंटन करना बताया है। किन्तु प्रार्थना पत्र के साथ इसकी प्रमाणित प्रतिलिपी नही होने के कारण अस्वीकार है।

सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा मौके अनुसार किस्म दर्ज की जाती है। अतः इसकी किस्म परिवर्तन किया जाना सही है। तथा प्रार्थी को मात्र सग्रंह स्थल हेतु पटटा जारी किया गया है जो पूर्ण रूप से अस्थाई होता है।

वकील प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर [illegible] अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। इस प्रार्थना पत्र [illegible] निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर [illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:01 IST
Reason: SelfAttested

———क्रमशः पेज– 3 पर.........

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रथम दृष्ट्या मामला :- प्रार्थी के वकील ने बहस में मनन किया कि मौजा नाडोल चक 2 के वर्तमान खसरा नम्बर 4029 रकबा 0.71 हैक्टर किस्म गै. मु नाडा जिसके गत खसरा नम्बर 1788 मीन रकबा 3 बीघा 15 बिस्बा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है जिस पर प्रार्थी का पिछले 50 साल से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा लगातर कब्जा काश्त के रहते उक्त कृषि भूमि में से तहसीलदार देसूरी द्वारा 400 वर्गगज की भूमि सग्रह स्थल हेतु आवंटन की गई थी जो तहसीलदार देसूरी के कार्यालय आदेश/कमांक/राजस्व/952 दिनांक 30.12.1982 के जरिये आवंटन की गई थी। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से बहस में मनन किया कि ग्राम नाडोल के खसरा नम्बर 4029 रकबा 0.7100 हैक्टर भूमि गै.मु नाडा है। इसमे प्रार्थी को सग्रह स्थल हेतु 400 वर्ग गज भूमि आवंटन करना बताया है। किन्तु प्रार्थना पत्र के साथ इसकी प्रमाणित प्रतिलिपी नही होने के कारण अस्वीकार है। सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा मौके अनुसार किस्म दर्ज की जाती है। अतः इसकी किस्म परिवर्तन किया जाना सही है। तथा प्रार्थी को मात्र सग्रंह स्थल हेतु पटटा जारी किया गया है जो पूर्ण रूप से अस्थाई होता है।

उपलब्ध रिकोर्ड के अनुसार अप्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार है। प्रार्थी को सग्रह स्थल हेतु 400 वर्ग गज भूमि आंवटन की गई थी जो कि पूर्ण रूप से अस्थाई है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

सुविधा का संतुलन :- अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी के वकील ने बहस में मनन किया कि सेटलमेन्ट के समय सेटलमेन्ट अधिकारीयो ने बिना कोई मौके की जॉच किये ही उक्त भूमि की राजस्व रिकोर्ड में किस्म परिवर्तन करते हुए गैर मु नाडी दर्ज कर दी गई। जिस वजह से अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा वर्तमान राजस्व रिकोर्ड के अनुसार अपना हक जताकर उस पर जोर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1 की आरे से इस संबंध में बहस में बताया कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मौके अनुसार किस्म दर्ज की जाती है। अतः इसकी किस्म परिवर्तन किया जाना सही है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि बिना खातेदारी या बिना किसी हक अधिकार एवं बिना आधिपत्य कब्जा के धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी प्रकार से कोई अस्थाई व्यादेश जारी नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ यदि किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थी को अधिक असुविधा होगी अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:15:01 IST
Reason: SelfAttested

---क्रमशः पेज- 4 पर.........

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। वकील प्रार्थी ने बहस में मनन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी के कब्जा शुदा भूमि के मौके से बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को उक्त भूमि से हमेशा हमेशा के लिए महरूम होना पडेगा जिसका मूल्याकन रूपयों पैसे से नही आका जा सकेगा।

प्रार्थी द्वारा बिना खातेदारी या बिना किसी हक अधिकार एवं बिना आधिपत्य कब्जा है। अतः प्रार्थी को ऐसी कोई हानि नही होगी जो रूपयो पैसे में नही आकी जा सकती है। अतः अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से न्यायालय प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता है। अतएवं

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0काश्त0 अधि0अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक–26/02/2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:01 IST
Reason: SelfAttested